

बांग्लादेश एक बार फिर बेलगाम

विहिप और बजरंग दल का देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली, 23 दिसंबर. विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) और बजरंग दल ने बांग्लादेश में हिन्दू युवक की पीट-पीटकर हुई हत्या के विरोध में मंगलवार को बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया।

वहीं देश भर के कई राज्यों में बांग्लादेश में हो रहे हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है. कोलकाता, हैदराबाद, बंगलुरु और दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में मोहम्मद युनूस के खिलाफ बांग्लादेश देश के साथ अब भारत के लोगों में भी आक्रोश उबलने लगा है. मंगलवार के दिन विरोध प्रदर्शनों हो रहे हैं. जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय बार



एसोसिएशन ने जम्मू में प्रदर्शन कर बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या की घटना की कड़ी निंदा की. वकीलों ने इसे मानवाधिकारों पर गंभीर हमला बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की. उन्होंने

अपील की कि या तो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए या उन्हें सुरक्षित रूप से भारत लाया जाए. प्रदर्शनकारियों ने जम्मू से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंया शरणार्थियों को बाहर निकालने की भी मांग की.

तनाव कम करें : रूस

ढाका, 23 दिसंबर. बांग्लादेश में रूसी राजदूत अलेक्जेंडर जी ने सोमवार को बांग्लादेश और भारत दोनों देशों से उनके बीच जारी तनाव को और बढ़ने से रोकने का रास्ता खोजने का आग्रह किया. ढाका में रूसी दूतावास में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, श्री खोजिन ने कहा कि बांग्लादेश के आगामी राष्ट्रीय चुनाव से पहले एक अनुकूल वातावरण बनाया जाना चाहिए और भारत के साथ तनाव कम करना आवश्यक है. ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, उन्होंने आगे कहा कि जितनी जल्दी दोनों देशों के बीच तनाव कम हो जाए, उतना ही अच्छा है.

श्रीलंका को 45 करोड़ डॉलर देगा भारत

कोलंबो, 23 दिसंबर. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को कोलंबो में श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की व चक्रवात दितावाह के बाद प्रधानमंत्री व भारत की एकजुटता का संदेश पहुंचाया. जयशंकर ने घोषणा की ऑपरेशन सागर बंधू के तहत भारत पहले प्रतिक्रियाकर्ता देश की भूमिका निभाते हुए श्रीलंका को 45 करोड़ अमेरिकी

डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज देगा यह सहायता सड़क, रेलवे व पुल संपर्क मार्ग के पुनर्वास एवं बहाली, पूरी तरह नष्ट और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर निर्माण, चक्रवात से प्रभावित स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्रों को समर्थन, कृषि को अत्यकालिक व मध्यम स्तर की सहायता तथा आपदा प्रतिक्रिया और तैयारी की मजबूत करने के उपायों को समाहित करेगी।



S. Jaishankar

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, केनैनसुला लिजनेस पार्क, गणपतराव कसम मार्ग लोवर परेल, मुंबई-400013. शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस, तीसरी मंजिल, यूनिट 301, पनआरके टेक पार्क, प्लॉट नंबर 94, सिंग रोड, रेडिसन स्वचायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) संपत्ति नियम 9(1) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) संपत्ति नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पटित वितीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु 30 दिवसीय ई-नीलामी सूचना एतद् द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अघोषित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/ प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अघोषित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अघोषित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए "जो है जहाँ है" और "जहाँ है, जैसा भी है" और "जो भी है" आधार पर दिनांक 28-01-2026 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थान / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 28-01-2026 को दोपहर 2:00 बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहब्वद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड डाफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 27-01-2026 को समय सायं 5:00 बजे तक शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, तीसरी मंजिल, यूनिट 301, पनआरके टेक पार्क, प्लॉट नंबर 94, सिंग रोड, रेडिसन स्वचायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010 पर जमा किया जाना चाहिए। प्रत्याभूत संपत्ति/ अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्र. सं.	ऋण (को) / सह-ऋण (को) / कानूनी वारिस (सौ) / जमानतदार (सौ) के नाम	मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	बकाया राशि
1	श्री सुरेश पाटीदार श्रीमती पुष्पा पाटीदार	₹ 20,89,753/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHHF0643000100000661 के अंतर्गत बकाया एवं देय एवं ₹ 12,24,201/-आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHHL0643000100000646 के अंतर्गत बकाया एवं देय एवं ₹ 7,72,966/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0643000100147373 के अंतर्गत बकाया एवं देय एवं ₹ 9,51,318/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0643000100260329 के अंतर्गत बकाया एवं देय एवं ₹ 9,58,893/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0643000100269413 के अंतर्गत बकाया एवं देय एवं कुल राशि ₹ 59,97,131/-	₹ 57,12,600/- अंतिम जमा राशि (ईएमडी): ₹ 5,71,260/- कब्जे का प्रकार : भौतिक	₹ 14,00,136/-आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHHL0643000100000646 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं ₹ 23,68,246/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHHF0643000100000661 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं ₹ 8,91,289/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0643000100147373 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं ₹ 11,08,060/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0643000100260329 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं ₹ 11,16,684/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0643000100269413 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं कुल राशि ₹ 68,84,415/-
		10-12-2024		15/12/2025

अचल संपत्ति का विवरण : अचल संपत्ति के समस्त पूर्व शेष भाग, आवासीय मकान 09, वाई नंबर 30, सांवरिया कॉलोनी (बन्नाखड़ा) जावरा जिला रत्नगाम (म.प्र.) में स्थित, कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट (92.90 वर्ग मीटर), चतुर्सीमा :- पूर्व : 5 फीट गली, पश्चिम : 30 फीट चौड़ी कालोनी रोड, उत्तर : पाठकनी का मकान, दक्षिण : अन्य का लैंड स्पष्टीकरण :- ऋणी द्वारा TCHFL के खिलाफ दायर किया गया सिक्वोरिटाइजेशन आवेदन (SA/832/2025) DRT जबलपुर में लंबित है, उक्त मामले में TCHFL के खिलाफ कोई स्टेटेआर्डर पास नहीं किया गया है।

नोट :- बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि बोली जमा करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें। नीलामी किसी भी मुकदमे या विवाद के नतीजे पर निर्भर होगी।

नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालांकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई अचल संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा। बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:

कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल <http://bankauctions.in> के माध्यम से दिनांक 28-01-2026 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।

नियम और शर्तें : 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उच्चघोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटि, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। 2. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि: ₹. 10,000/- (दस हजार मात्र) 4. संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएं 'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांड डाफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड डाफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। आरटीओएस / आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 5. उच्चतम बोलीकार को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्त वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उस लेन के शेषक मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त हो। 6. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। 7. संपत्ति की निरीक्षण दिनांक 20-01-2026 को सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक किया जा सकता है। 8. खरीददार घोषित व्यक्ति को एसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति ई-नीलामी/ निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। 9. उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खालीकरण 'प्राधिकृत अधिकारी' को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रिविवाय या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। 10. उपरोक्तानुसार भुगतान को पर संपत्ति ई-नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जम्मा हो जायेगी और चूककर्ता खरीदार संपत्ति पर अपने सभी दावे को दोगा। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. को ज्ञात ऋणधारों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण-कोई नहीं, दावे, यदि कोई हों, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हों और इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण, उपरोक्त तालिका के अनुसार। उपरोक्त जानकारी के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि यहां के विवरणों के अभाव में, बिजली आदि के सांघिक देनदारियों से संबंधित संपत्ति पर कर्तव्य भार के बारे में स्वयं जांच करें। 12. अन्य किसी विवरण अथवा संभावनी निविदाकार को ई-नीलामी पर प्रक्रिया आनलाईन प्रशिक्षण के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स 4बलोजर, ब्लॉक नं. 605 ए, छठी मंजिल मेत्रीवन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अमीरपेट, हैदराबाद-500038 ईमेल आईडी: info@bankauctions.in या मनीष बंसल, ईमेल आईडी Manish.Bansal@tatacapital.com अधिकृत अधिकारी मोबाइल नंबर 8588983696 से संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 999078669 पर भेजें। 13. उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोली दाता 1% का टीडीएल्ट लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/ उधारकर्ता (ओं) के पैन में जमा करना आवश्यक है और धालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। 14. उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट <https://shorturl.at/5RZfs> का संदर्भ लें। 15. कृपया इस लिंक पर भी जाएं : <https://www.tatacapital.com/property-disposal.html>

कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/ नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल / एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

ह/-
(प्राधिकृत अधिकारी)
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि.
स्थान : इन्दौर (म.प्र.)
दिनांक : 24-12-2025

एक नजर में



इसरो के एलवीएम-3 की उलटी गिनती शुरू

चेन्नई, 23 दिसंबर. नैसडेक में सूचीबद्ध एएसटी स्पेसमोबाइल इंक के 6.5 टन के ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 उपग्रह को ले जाने वाले भारत के एलवीएम3-एम6 रॉकेट के बुधवार सुबह होने वाले प्रक्षेपण की उलटी गिनती मंगलवार सुबह लगभग 8.55 बजे शुरू होने की उम्मीद है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. यह मिशन एलवीएम3 की छठी परिचालन उड़ान है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसरो) ने बताया है कि एलवीएम3 बुधवार को सुबह 8-24 बजे श्रीहरिकोटा के दूसरे प्रक्षेपण पैड से उड़ान भरेगा. मिशन शुरू होने के लगभग 16 मिनट बाद, 43.5 मीटर ऊंचा और 640 टन वजनी यह प्रक्षेपण यान ब्लूबर्ड-6 उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा (एलईओ) में स्थापित कर देगा. यह एलईओ में स्थापित किया गया अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह होगा और भारतीय धरती से एलवीएम3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया सबसे भारी पेलोड होगा।

श्रीलंकाई नौसेना ने मछुआरों को किया गिरफ्तार

चेन्नई, 23 दिसंबर. श्रीलंकाई नौसेना ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करने के आरोप में तमिलनाडु के रामेश्वरम के 12 मछुआरों को हिरासत में लिया है. यह कारवाई धनुषकोडी और थलाइमन्नार के बीच स्थित समुद्री इलाके में की गई है. नौसेना के जवानों ने मछुआरों को चारों तरफ से घेरकर यह गिरफ्तारी की. इस दौरान मछुआरों की एक नाव को भी जब्त किया है. सभी गिरफ्तार मछुआरों को थलाइमन्नार नौसेना कैंप ले जाया गया है. अधिकारी मछुआरों से पूछताछ कर रहे हैं. यह घटना मछुआरों द्वारा सीमा पार करने की वजह से हुई है.

यूपी के 5 मजदूरों की दम घुटने से मौत

कुरुक्षेत्र, 23 दिसंबर. कुरुक्षेत्र के जाने-माने रिजॉर्ट में पेंट का काम करने आए यूपी के पांच मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है.

कार्यालय नगर परिषद धामनोद, जिला - धार

क्रमांक / 1814 / 2025 धामनोद, दिनांक 19/12/2025
विवृति
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद धामनोद तहसील धरमपुरी जिला धार धार भूमि ग्राम धामनोद में स्थित शासकीय भूमि खत नंबर 21/2 कुल रकबा 0.215 हेक्टेयर आबादी में से पेकि रकबा 0.013 हेक्टेयर एवं सुवें नंबर 417/1 कुल रकबा 0.200 हेक्टेयर आबादी (पुलिस चौकी) में से पेकी रकबा 0.080 हेक्टेयर की नजूल की भूमि हस्तांतरण/स्थाने पट्टे के लिए भूमि आवंटन किये जाने के संबंध में प्रकरण इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति / संस्था / विभाग को आपत्ति हो तो विज्ञापित प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस के भीतर टप्या कार्यालय धामनोद में भेरे समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद धामनोद (धार)

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कांफॉर्ट कार्यालय: हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - 27, विकसित आर्थोपिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600032
संपर्क नं.: राशेश चकोटीया 8435571111 (आऑएएम) श्री वैभव श्रीवास्तव (आएएएम) 7987069803, सुशी अंबिका पाटिल - 7723055159 (सौएएम), श्री गोविंद चौहान 8962816436 (सौआएम)

निजी समझौते के माध्यम से ऋणों की सूचना
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (SARFAESI अधिनियम) के तहत HHFL को गिरवी रखी गई अचल परिसंपत्तियों की बिक्री।

एचएचएफएल के अधिकृत अधिकारियों के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने एएसआरएफआईएसआई अधिनियम की धारा 13(4) के तहत अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा ग्रहण कर लिया है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में उल्लिखित गिरवी रखी गई संपत्ति निजी समझौते के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध है, एचएचएफएल द्वारा अपने बकाया की वसूली के लिए "जैसा है जहाँ है" और "जैसा है जो है" के आधार पर।

निजी समझौते के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए मानक नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:
1. निजी समझौते के माध्यम से बिक्री "जैसा है, जहाँ है" और "जैसा है, जो है" के आधार पर होगी। 2. क्रेता को एचएचएफएल द्वारा संपत्ति को खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त होने के अगले कार्यालय पर बिक्री मूल्य का 25% जमा करना होगा और शेष राशि उसके 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। 3. क्रेता को आवेदन के साथ प्रस्तावित राशि का 10% जमा करना होगा, जिसे उपरोक्त खंड (2) के अनुसार जमा की जाने वाली 25% राशि में समायोजित किया जाएगा। 4. उपरोक्त खंड (2) के अनुसार राशि जमा न करने पर, आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% राशि सहित पहले से भुगतान की गई राशि जमा कर ली जाएगी। 5. एचएचएफएल द्वारा खरीदने के प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% राशि किसी ब्याज के बिना वापस कर दी जाएगी। 6. यह संपत्ति एचएचएफएल को ज्ञात या अज्ञात सभी मौजूदा और भविष्य के भारों सहित बेची जा रही है। अधिकृत अधिकारी/सूचित लेनदार किसी भी तृतीय-पक्ष के दावों/अधिकारों/देय राशि के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। 7. क्रेता को निजी समझौते के माध्यम से बेची जा रही संपत्ति से संबंधित सभी पहलुओं को उचित जांच-पड़ताल कर अपनी संतुष्टि सुनिश्चित करनी चाहिए। क्रेता भविष्य में इस संबंध में अधिकृत अधिकारी/सूचित लेनदार के विरुद्ध कोई दावा करने का हक्कदार नहीं होगा। 8. एचएचएफएल बिना कोई कारण बताए किसी भी खरीद प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 9. एक से अधिक प्रस्तावों की स्थिति में, एचएचएफएल उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। 10. इच्छुक पक्ष अधिक जानकारी/स्पष्टीकरण और आवेदन जमा करने के लिए अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 11. क्रेता को संपत्ति की खरीद से संबंधित सभी स्टॉप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य व्यय, कर और शुल्क वहन करने होंगे। 12. किसी एएसआरएफआईएसआई अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

ऋण खाता संख्या और उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम	आरक्षित मूल्य: ₹. 9,00,000/- (नौ लाख मात्र)
ऋण आवेदन क्रमांक: MP/DR/INDR/AA00000347 श्री श्री सुनकराम 2. श्रीमती परलिन	
संपत्ति का विवरण: फ्लैट संख्या P-1, ट्रेन फ्लोर, "बो.टी.सी. एवेन्यू", प्लॉट संख्या 38, टाउन-16, श्री कृष्णा एवेन्यू, फेस-1, प्रा. विभा. इंदौर और जिला इंदौर में स्थित है। कुल क्षेत्रफल 528 वर्ग फुट है। पूर्व: प्लॉट संख्या 41, पश्चिम: खुली छत, उत्तर: प्लॉट संख्या 39, दक्षिण: फ्लैट संख्या P.2।	
ऋण आवेदन क्रमांक: MP/DR/MCHL/AA00000127 श्री श्रीमती शिव्या 2. श्री लाल सिंह	आरक्षित मूल्य: ₹. 13,50,000 (तेरह लाख पचास हजार मात्र)
संपत्ति का विवरण: आवेदक/ऋणकर्ता/को का नाम: श्रीमती प्रिया; सह-आवेदक/को का नाम: श्री लाल सिंह; संपत्ति के स्वामी/स्वामियों का नाम: प्रिंसा टाऊनर और लाल सिंह; संपत्ति का पता: मकान संख्या 3, हनना बाबुली क्षेत्र, ग्राम विद्यापीठ हम्पी, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452001। संपत्ति की सीमाएं: पूर्व में गंगाराम का घर, पश्चिम में सामान्य रास्ता, उत्तर में बाइक स्टॉप, दक्षिण में मुख्य सड़क।	

एएसडी/- अधिकृत अधिकारी
हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए
दिनांक: 24.12.2025

वीजा घोटाले में कार्ति के खिलाफ आरोप तय

नई दिल्ली, 23 दिसंबर. राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट एस. भास्कररामन के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किए जा रहे कथित चीनी वीजा रैकेट मामले में आरोप तय किए.

अदालत ने भास्कररामन पर मामले से संबंधित महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप लगाया. दोनों आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 16 जनवरी को तय की. सीबीआई ने विकास मखारिया को सरकारी गवाह का दर्जा दे दिया है, जिनसे अभियोजन पक्ष के मामले में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है. सीबीआई की एफआईआर के



S. Jaishankar

अनुसार, पंजाब के मानसा स्थित एक निजी कंपनी (तलवंडी साबो पावर लिमिटेड) ने कथित तौर पर चीनी नागरिकों के लिए वीजा जारी करवाने में मदद के लिए बीबीसीएल के माध्यम से 50 लाख रुपये का भुगतान किया. यह कंपनी 1,980 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित कर रही थी, जिसका निर्माण कार्य एक चीनी कंपनी को आउटसोर्स किया था।

परियोजना में देरी होने के कारण, कंपनी ने कथित तौर पर गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित वीजा सीमा से अधिक चीनी पेशेवरों को लाने की कोशिश की. सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि इन प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए कंपनी के प्रतिनिधियों ने सहयोगियों के माध्यम से चेन्नई स्थित एक व्यक्ति से संपर्क किया. आरोप है कि चीनी अधिकारियों को पहले दिए गए 263 प्रोजेक्ट वीजा का पुनः उपयोग करने की योजना बनाई, जिससे गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमा को प्रभावी ढंग से दरकिनार किया जा सके. वीजा के पुनः उपयोगों की मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को एक अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया।

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

कांफॉर्ट कार्यालय: मोतीलाल ओसवाल होम, रहमतुल्लाह सयानी रोड, एस्टी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई-400025. ईमेल: hfquery@motilalosawal.com. सीआरएन संख्या: U65923MH2013PLC248741

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए 15 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ पटित। एतद्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के पास गिरवी रखी गई निम्नलिखित संपत्ति को "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि और आम के ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए "ऑनलाईन ई-नीलामी" के माध्यम से, जैसा कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार SARFAESI अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पटत गया है।

ई-नीलामी की तिथि और समय: 30-01-2026 / सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक (प्रत्येक 15 मिनट के लिए असीमित विस्तार के साथ)
क्र. सं. उधारकर्ता/गारंटर/ ऋण खाता मांग सूचना की तिथि और राशि अचल संपत्ति का विवरण आरक्षित मूल्य, ईएमडी और ईएमपी जमा करने की अंतिम तिथि

लैन: LXXH40016-170023244 शाखा: खरगोन उधारकर्ता: फारुख लतीफ खान सह-उधारकर्ता: फरीदबी फारुख खान	23-12-2020 ₹. 539438/- (पांच लाख अठारहसौ हजार चार सौ अठारस रुपये)	पीएच नं. - 26, ख नंबर - 722/2, वाई क्रमांक- 31, संजय नगर, खरगोन, मध्य प्रदेश - 451001	आरक्षित मूल्य: ₹. 85674/- (पचासहजार छह सौ चौहतर मात्र) ईएमडी: ₹. 8567/- (आठ हजार पांच ससठ मात्र) ईएमपी जमा करने की अंतिम तिथि: 29-01-2026
---	---	---	---

नियम एवं शर्तें : 1. नीलामी बोली दस्तावेज के आगे दिए गए नियमों एवं शर्तों और उरमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोली लगाने वाले हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स एआरसीईएम प्रोटेक्ट लिमिटेड के वेब पोर्टल: <https://www.auctionbazaar.com> पर जाकर बोली संबंधी जानकारी और सहायता, ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण और ऑनलाइन जमा किए जाने वाले बोली प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक खरीदार नीलामी के नियम और शर्तें तथा प्रक्रिया को इसी पोर्टल पर देख सकते हैं और मनीषकुमार ओसवाल नंबर - 7045567028, प्रभात कुमार नंबर - 8819922304, रोहित सिंह चौहान - 9575511158, रविंद्र कुमार सोनी - 8976776758, भूमि चौहान - 9372704781, योगेश राजेश मधोरेया - 9630866533, निरराज सिंह यादव - 9137527516 से संपर्क कर सकते हैं। उपरोक्त वेब पोर्टल पर उपलब्ध विवरण देखें और उनके केंद्रीय सहायता डेस्क: +91 83709 69696, ईमेल आईडी: contact@auctionbazaar.com से संपर्क करें।

अनुसार में बुद्धिवा विभागित होने पर अंशो संस्करण मान्य होगा प्राधिकृत अधिकारी, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
स्थान: मध्य प्रदेश
दिनांक: 24.12.2025

कार्यालय नगर पालिका परिषद मंदसौर (म. प्र.)

Phone: 07422-405964 / ULB Code : 802211
E-Mail: cmomandansaur@mpurban.gov.in दिनांक 23/12/2025